



-प्रेस नोट-

दिनांक 15.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ शातिर ट्यूबवैल उपकरण/बाईक चोरी में वांछित अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर व तांबे के तार एवं 01 चोरी की मोटरसाईकिल बरामदा

अवगत कराना है थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर पर भिन्न भिन्न चोरी की घटनाओं -मोटर साईकिल नं0 UP 11AQ 5429 व ड्राईविंग लाईसेन्स नं0 11120/0549 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 48/2026 धारा 303(2) बीएनएस तथा ट्यूबवैल से दो बिजली मोटर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मु0अ0सं0 76/2026 धारा 303(2) बीएनएस एवं मोटर के तार चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मु0अ0सं0 84/2026 धारा 303(2) बीएनएस व खेत के ट्यूबवैल मोटर चोरी कर लेने के सम्बन्ध मु0अ0सं0 89/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराये गये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 14.02.2026 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं उ0नि0 देवेन्द्र कुमार अधाना मय पुलिस फोर्स के चापरचीडी कांटे से पहले अम्बेहटा पीर की तरफ रोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटर साईकिल पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति अम्बेहटापीर की तरफ से आता दिखाई दिया, जिसे टोर्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया तो व्यक्ति मोटरसाईकिल को धीमी कर वापस अम्बेहटापीर की तरफ मोडकर भागने लगा। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया तो मोटरसाईकिल सवार आगे चलकर बायीं तरफ जंगल जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोटरसाईकिल मोडकर भागने लगा जिसकी। मोटरसाईकिल कच्चे रास्ते पर आगे चलकर फिसल गयी जिसके पीछे प्लास्टिक का कट्टा बंधा हुआ था को छोडकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता हुआ भागने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गयी जवाबी फायरिंग में भाग रहे बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल / गिरफ्तार बदमाश की पहचान **इसरार उर्फ टिन्ना पुत्र वाजिद निवासी ग्राम चाऊसहसपुर उर्फ दरबूजी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** के रूप में हुयी। अभियुक्त को उपचार हेतु सी0एच0सी नकुड़ में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त की जामा तलाशी / कब्जे से एक चोरी की मोटरसाईकिल स्पलेण्डर बिना नम्बर प्लेट, 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर, एक प्लास्टिक के कट्टे में 8 किलो 405 ग्राम तांबे के तार बरामद हुये। बरामद तांबे के तार व मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बदमाश द्वारा बताया गया कि उपरोक्त तांबे के तारों को मैंने नकुड़ क्षेत्र की 03 ट्यूबवैलों से एवं मोटरसाईकिल को कस्बा नकुड़ के कस्तूरबा गांधी स्कूल से चोरी किया था। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त चारों अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0-93/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इसरार उर्फ टिन्ना पुत्र वाजिद निवासी ग्राम चाऊसहसपुर उर्फ दरबूजी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 तमंचा कारतूस .315 बोर

- 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटरसाईकिल
- 8 किलो 405 ग्राम तांबे के तार

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 570/18 धारा 379 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 272/21 धारा 4/25 A ACT थाना नकुड
3. मु0अ0स0 392/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 262/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर
5. मु0अ0स0 191/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. मु0अ0स0 367/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर
7. मु0अ0स0 368/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर
8. मु0अ0स0 76/26 धारा 303(2) /317(2) बीएनएस थाना नकुड जिला सहारनपुर
9. मु0अ0स0 84/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नकुड जिला सहारनपुर जिला सहारनपुर
10. मु0अ0स0 48/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नकुड जिला सहारनपुर सहारनपुर
11. मु0अ0स0 89/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नकुड जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार अधाना थाना नकुड जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थाना नकुड जिला सहारनपुर
4. है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड जिला सहारनपुर
5. है0का0 650 वरणकार थाना नकुड जिला सहारनपुर
6. है0का0 258 अजीत सिंह थाना नकुड जिला सहारनपुर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बाद मुठभेड, 25 हजार रुपये का ईनामी/04 मुकदमों में वांछित बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर, 1000/- रुपये नकद एवं 01 मोटरसाईकिल बिना नम्बर बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय जनपद सहारनपुर व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशन जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 14.02.2026 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री सुनील नागर के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस ग्राम मंशापुर रोड बालपुर रजवाहे की पटरी पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रहे थी। इसी दौरान एक मोटरसाईकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति ग्राम बालपुर की ओर से आते दिखाई दिये जिन्हे टोर्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया तो दोनों व्यक्ति मोटरसाईकिल को मोडकर भागने लगे, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस पार्टी द्वारा पीछा गया तो मोटरसाईकिल सवार आगे चलकर जंगल जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ मोटरसाईकिल मोडकर भागने लगे, मोटरसाईकिल कच्चे रास्ते पर आगे चलकर फिसल गयी। एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार / घायल अभियुक्त की पहचान **सलमान उर्फ महबूब उर्फ मोटा पुत्र मकबूल निवासी हुसैन बस्ती नया घास कांटा थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल सहारनपुर में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर व 1000/- रुपये नकद तथा एक मोटर साईकिल पल्सर बिना नम्बर प्लेट रंग काला बरामद की गयी है तथा दूसरा बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा जिसकी तलाश हेतु पुलिस द्वारा काम्बिंग की जा रही है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत (1)मु0अ0सं0 672/2025 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम, 25000/-रुपये का इनाम घोषित (2) मु0अ0सं0 644/2025 धारा 303(2)/317(2) /3(5) बीएनएस, (3) मु0अ0सं0 688/2025 धारा 304(2) बीएनएस एवं थाना बेहट के 02 मुकदमों में वांछित चल रहा था। बरामद 1000/- रुपये थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 688/2025 धारा 304(2) बीएनएस (छिनैती) से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 056/26 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस 3/5/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सलमान उर्फ महबूब उर्फ मोटा पुत्र मकबूल निवासी हुसैन बस्ती नया घास कांटा थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सलमान उर्फ महबूब उर्फ मोटा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 225/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0स0 118/23 धारा 307/465/120बी भा0द0वि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
3. मु0अ0स0 146/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 141/22 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 चालानी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0स0 152/22 धारा 307 भा0द0वि0 चालानी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0स0 153/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0स0 156/22 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 चालानी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0स0 157/22 धारा 414 भा0द0वि0 चालानी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0स0 412/23 धारा 379/411/120बी भा0द0वि0 चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0स0 420/23 धारा 379/411/120बी भा0द0वि0 चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0स0 477/23 धारा 307/420 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0स0 22/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0स0 622/25 धारा 305(ए) बीएनएस चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
14. मु0अ0स0 652/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
15. मु0अ0स0 390/23 धारा 457/380/411/120बी भा0द0वि0 चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
16. मु0अ0स0 111/19 धारा 379/411 भा0द0वि0 चालानी थाना फतेहपुर थाना जनपद सहारनपुर
17. मु0अ0स0 172/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस चालानी थाना फतेहपुर थाना जनपद सहारनपुर
18. मु0अ0स0 173/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस चालानी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
19. मु0अ0स0 420/19 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 चालानी थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर
20. मु0अ0स0 200/19 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 चालानी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
21. मु0अ0स0 253/19 धारा 414 भा0द0वि0 चालानी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
22. मु0अ0स0 672/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना को0 देहात, सहारनपुर
23. मु0अ0स0 646/25 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस चालानी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
24. मु0अ0स0 688/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस चालानी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
25. मु0अ0स0 056/26 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस 3/5/27 आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली देहात

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा .315 बोर
- 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 1000/- रूपये नकद
- 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बजाज प्लसर रंग काला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाल देहात जनपद सहारनपुर ।
- 2-उ0नि0 श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
- 3-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
- 4-है0का0 334 संजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
- 5-हे0का0 582 सलीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
- 6-का0 1253 अनिरुद्ध थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
- 7-का0 2342 कपिल राठी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

15.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त
को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.02.2026 को वादी श्री अमित कुमार पुत्र जयपाल निवासी ग्राम अहमदपुर सादात थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गण द्वारा वादी की बहन अनिता को दहेज के लिए प्रताडित करना दहेज की माँग पूरी न होने पर वादी की बहन की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0-53/2026 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया था। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त सन्नी पुत्र सुशील निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को गुमटी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. सन्नी पुत्र सुशील निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- 1- थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 3- का0 2299 कृष्णवीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 4- का0 2175 गोपाल सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 15-02-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मुठभेड में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे
से 01 तमंचा, 01 जिन्दा/01खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि 13.02.2026 को वादी थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा एक किता फर्द बावत अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 68/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट बनाम 1- मुस्तकीम पुत्र शकील निवासी दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर 2. आशिक पुत्र नौसाद तेली निवासी उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था। जिसमें अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। एव अभियुक्त आशिक उपरोक्त मौके से फरार हो गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा वाँछित अभियुक्त आशिक पुत्र नौशाद निवासी दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को बिजली घर रोड ग्राम फतेहपुर भादो से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा/01खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त को बाद आवश्यक कार्यवाही माननीय न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त से पूछताछ के दौरान बताया गया कि मैं तथा मेरा साथी मुस्तकीम गौकशी करने के लिये अपनी मो0सा0 से जा रहे थे कि रास्ते में हम लोगो को पुलिस चौकीग करती दिखायी दी। जैसे ही हम लोगो को पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो हम लोग पुलिस पर फायरकर कर भागने लगे तथा मेरा साथी मुस्तकीम को पुलिस द्वारा पकड लिया गया था। तथा मैं भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. आशिक पुत्र नौशाद निवासी दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मशकूर अली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 231 रोहित थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 15.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाना वाला
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.02.2026 को वादिया की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 76/26 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता बनाम अन्नु उर्फ अनस पुत्र गुलजार निवासी हबीबगढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी हेतु आदेश निर्देश निर्गत किये गये। आदेश-निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 14.02.26 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त अन्नु उर्फ अनस पुत्र गुलजार निवासी हबीबगढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को **माल गोदाम के पास** से गिरफ्तार किया गया। तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचना के आधार पर अभियोग में धारा 87 बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अन्नु उर्फ अनस पुत्र गुलजार निवासी हबीबगढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 545/25 धारा 118(1)/351(2)/352 बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 076/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

- 1- म0उ0नि0 सविता चौधरी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- 2- म0है0का0 1118 कमलेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- 3- है0का0 349 हरेन्द्र गिरि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- 4- म0का0 845 ममता थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल

10000/-रुपये की में शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते करायी गयी वापस

दिनांक 30.01.2026 को पीडित श्री सौरभ अहूजा पुत्र श्री सुभाष अहूजा निवासी पन्त विहार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर द्वारा आनलाइन साइबर पोर्टल 1930 पर अपने साथ 10000/-रुपये की क्रेडिट कार्ड से ठगी हो जाने के सम्बन्ध में साइबर पोर्टल पर शिकायत सं० 23102260020787 दर्ज करायी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा दिनांक 30.01.2026 को दर्ज साइबर शिकायत संख्या 23102260020787 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर फ्रॉड में की राशि 10000/- रुपये की शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर कोतवाली नगर पुलिस का आभार प्रकट किया।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीम:-

1. निरीक्षक श्री मुमताज खान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. व0उ0नि0 मानसिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
3. कम्प्यूटर आपरेटर सन्नी सोम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
4. म0का0 1951 मोना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”



दिनांक 15.02.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर
अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 160 ग्राम चरस बरामद-

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त तसलीम उर्फ बाबू पुत्र तासीन उर्फ सुबराती निवासी चांद कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर हाल पता मंसूर कालोनी अक्शा मस्जिद वाली गली निकट अलीशान पैलेस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को पानी की टंकी पशु पैठ में बनी खोर के पास से ही गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त तसलीम उर्फ बाबू उपरोक्त के कब्जे से कुल 160 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 56/26 धारा 8/20 एनडीपीसीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त तसलीम उर्फ बाबू उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. तसलीम उर्फ बाबू पुत्र तासीन उर्फ सुबराती निवासी चांद कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर हाल पता मंसूर कालोनी अक्शा मस्जिद वाली गली निकट अलीशान पैलेस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 160 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त तसलीम उर्फ बाबू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 606/17 धारा 302, 504 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 202/23 धारा 392 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 96/24 धारा 380,411,457 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 100/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 227/24 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 109 बीएनएस थाना कुतुबशेर सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 008/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 477/25 धारा 85,115(2),351(3),352 बीएनएस व ¼ मुस्लिम विवाह अधि0 थाना मण्डी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 500 विकल सोम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर /

“ऑपरेशन सवेरा”



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर

अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 220 ग्राम चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.02.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 अभियुक्त **साकिब उर्फ मुन्ना पुत्र खलीक निवासी हुसैन बस्ती थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को जे.वी.जैन स्कूल के पीछे राज कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 220 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 57/26 धारा 8/20 एनडीपीसीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त साकिब उर्फ मुन्ना उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साकिब उर्फ मुन्ना पुत्र खलीक निवासी हुसैन बस्ती थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

220 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त साकिब उर्फ मुन्ना उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 135/24 धारा 323,506 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 202/23 धारा 392 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 226/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 8/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 थाना कुतुबशेर
5. मु0अ0सं0 2213/24 धारा 304,317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

4. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. हे0का0 1237 मोनू भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का0 1074 गौरव त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक – 15.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा शांति अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मस्कट पौना 12 बोर बरामद-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु चोरी लूट मादक पदार्थ एवं अवैध असलाह की बरामदगी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14/02/26 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त संजय कुमार पुत्र हाकम सिंह निवासी विवेक विहार टीचर कालोनी कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर को नूरपुर फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मस्कट पौना 12 बोर बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-109/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. संजय कुमार पुत्र हाकम सिंह निवासी विवेक विहार टीचर कालोनी कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 01 मस्कट पौना 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री देवेन्द्र भाटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 2- है0का0 1124 राहुल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 3- है0का0 770 शिवकुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर